

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अर्जन निदेशालय)

अधिसूचना

संचिका सं०-14/डी०एल०ए०-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014 (खण्ड-1). 21.9/रा०, दि. 27-06-18

बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018

केन्द्रीय भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 109 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (1) यह नियमावली बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 के उपनियम-9 में संशोधन:-

(1) बिहार भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियमावली, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-4 का उपनियम-9 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-


"(9) परियोजनाओं हेतु भू-अर्जन/अधिग्रहण के मामले में प्रस्ताववार/मौजावार स्थापना व्यय (प्रशासनिक व्यय) एवं आकस्मिकता व्यय की राशि निम्नलिखित रूप में विनिश्चित की जायगी :-

(क) स्थापना व्यय (प्रशासनिक व्यय) में प्रतिकर की राशि का 2.00 प्रतिशत।

(ख) आकस्मिकता व्यय के लिए प्रतिकर की राशि का 0.5 प्रतिशत।

यह प्रावधान वैसे मामलों में प्रभावी नहीं होगा, जिनमें सक्षम प्राधिकार के स्तर से प्राक्कलन/पंचाट की स्वीकृति की कार्रवाई की जा चुकी है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/डी०एल०ए०-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014 (खण्ड-1). 21.9/रा०, पटना-15, दिनांक-27-06-18
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/डी0एल0ए0-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014 (खण्ड-1) 219/रा0,पटना-15, दिनांक-27-06-18

प्रतिलिपि:-

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता/सभी अपर समाहर्ता/सभी जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी समाहर्ताओं से अनुरोध है कि इस अधिसूचना की प्रति अपने स्तर से उनके परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. सभी विभागीय प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


3. निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5. विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

6. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


7. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/6
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-14/डी0एल0ए0-भू-अर्जन एवं पुनर्वास (नीति-14)-32/2014 (खण्ड-1) 219/रा0,पटना-15, दिनांक-27-06-18

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को (दो सी0डी0 एवं दो हार्ड कॉपी सहित) बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ।

उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।


(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/6
प्रधान सचिव।

GOVERNMENT OF BIHAR
DEPARTMENT OF REVENUE AND LAND REFORMS

(Directorate of Land Acquisition)

NOTIFICATION

No. 14/D.L.A Bhu-Arjan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1) 219/R, Dated-27-06-18

The Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Rules, 2018.

In exercise of the powers conferred under section 109 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 (as amendment from time to time).

1. **Short title, extent and commencement.**-(1) These rules may be called the Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Second Amendment) Rules, 2018.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. **Amendment in sub-rule (9) of rule-4 of the above said rule, 2014 (as amended from time to time):-**

(1) Sub-rule (9) of rule-4 of Bihar Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2014 (as Amendment from time to time) shall be substituted by the following:-

"(9) In the matter of land acquisition for projects, proposal-wise/village-wise establishment charges (administrative cost) and contingency charges shall be determined in following manners.-

(a) Establishment charges (administrative cost) shall be 2.00 (two) percent of the compensation amount.

(b) Contingency charges shall be 0.5 (point five) percent of the compensation amount."

This provision would not be effective in such cases in which estimate/award has been sanctioned at the level of competent authority.

By the order of the Governor of Bihar

B. Mehrotra

(Brijesh Mehrotra),
Principal Secretary.

27/6

Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1) 219/R, Dated-27/6/2018
Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna for information and necessary action.

B. Mehrotra

(Brijesh Mehrotra),
Principal Secretary.

27/6

e mll
Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1)..2.19.../R. Dated-27/6/2018
Copy to:-1. All Divisional Commissioners/All Collectors/All Additional Collectors/All District
Land Acquisition Officers, Bihar for information & necessary action.

All District Collectors are requested to make available the copy of this notification
to concerned all officers of the ongoing projects of the requisitioning department in the district
from their own level

2. All Departmental Principal Secretary/ All Secretary/ All Departmental Head, Bihar,
Patna for information & necessary action.
3. Director, Land Acquisition and Rehabilitation, Water Resources Department,
Bihar, Patna for information & necessary action.
4. Chief Secretary, Bihar, Patna for information.
5. Development Commissioners, Bihar, Patna for information.
6. Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar, Patna for information.
7. Private Secretary to Hon'ble Minister, Revenue and Land Reforms Department,
Bihar, Patna for information.

B. Mehrotra
(Brijesh Mehrotra), 27/6
Principal Secretary.

Memo No.-14/D.L.A Bhu-Arjnan Evam Punarwas(Niti-14) 32/2014(khand-1)..2.19.../R. Dated-27/6/2018
Copy forwarded to the Under Secretary, e-gazette cell, finance Department Bihar Patna
(along with two C.D. and two hard copy) for information and necessary action. He is requested
to publish this notification in the next extraordinary issue of Bihar Gazette for the knowledge of
general public.

Kindly send 500 copies of special Gazette to the Revenue & Land Reforms Department,
Bihar, Patna.

B. Mehrotra
(Brijesh Mehrotra), 27/6
Principal Secretary.